

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:- 226 / 2023

दायर दिनांक:- 08.12.2023

जीसीएमएस नं. 2023 / 542

उनवान

देवीलाल पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान

—सायलान—02

बनाम

प्रेमसिंह पुत्र मनोहरी जाति मीना निवासी कोडिया तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राज0

—गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा  
निर्णय

दिनांक:- 8.07.2024

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 18.12.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 226 / 2023 देवीलाल बनाम प्रेमसिंह आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील / पालना में खारिज किया जाता है।



यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन, जिला करौली